न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ0ग0)

(पीठासीन न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे)

CNRCGRN01001615-2022 वि0आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक–48 / 2022

संस्थित दिनांक 6.10.2022

हलीमा बेगम पिता स्वर्गीय गौस मोहम्मद,
आयु 37 वर्ष हाल मुकाम ग्राम भर्रीटोला,
मानपुर, थाना व तहसील मानपुर, जिला–
राजनांदगांव (छ0ग0)

.... आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता,

|| विरूद्ध ||

1. मोहम्मद सादिक अहमद आत्मज नजीर
   खॉन उम्र 33 वर्ष .
2. नाजीरा बाना पति नजीर खॉन आयु 56 वर्ष,
   दोनों निवासी ग्राम मोहला थाना मोहला,
   जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
3. छ0ग0शासन व्दारा आरक्षी केन्द्र मोहला,
   जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

......................अनावेदकगण / गैर–पुनरीक्षणकर्तागण,

———————————————————————————————

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से श्री एच0बी0गाजी, अधिवक्ता।
उत्तरवादीगण की ओर से श्री कादिर सिद्धकी, अधिवक्ता।

———————————————————————————————

|| आदेश ||

(आज दिनांक 24.3.2023 को पारित)

1. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी, जिला

राजनांदगांव व्दारा उनके न्यायालय के अपराध कमांक 41/2022 अंतर्गत धारा 498-ए भारतीय दंड विधान एवं धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा-4 शासन विरूद्ध मोहम्मद सादिक में दिनांक 1.8.2022 को अभिलिखित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 22.1.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र मानपुर में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 41/2022 के तहत धारा 498-ए/34 भारतीय दंड विधान एवं मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा-4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 3.4.2022 को रविवार था तथा आरक्षी केन्द्र मानपुर व्दारा अन्वेषण प्रारंभ करने के पूर्व ही दिनांक 4.4.2022 को अनावेदकगण/अभियुक्तगण/गैर पुनरीक्षणकर्तागण व्दारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी के न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 44 दंड प्रकिया संहिता के साथ ही धारा 437 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं को प्रतिभूति पर रिहा किये जाने का निवेदन किया । उक्त प्रकरण में विचाराधीन न्यायालय व्दारा मशीनरी गति से कार्य करते हुए तत्काल मानपुर थाने से केशडायरी आहूत कर एवं धारा 44 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को 20-20 हजार रूपये की दो स्थानीय जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किये जाने का सशर्त आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 4.4.2022 को पारित आदेश में यह भी आदेशित किया गया था कि जमानत अवधि के दौरान अथवा प्रकरण के निराकरण के पूर्व

अभियुक्त पति अपनी पत्नी / प्रार्थिया हलीमा बेगम को निर्वाह भत्ता उसकी आवश्यकतानुसार प्रदान करता रहेगा तथा उपरोक्त संबंध में संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस बाबत जानकारी भी देता रहेगा।

3. मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस नियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तब कि अभियुक्त व्दारा फाईल किये गये आवेदन पर उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसपर तलाक की घोषणा की गई है, की सुनवाई के पश्चात् मजिस्ट्रेट को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी व्दारा एक ही दिन अर्थात् दिनांक 4.4. 2022 को विधिक प्रावधानों एवं मान्य प्रक्रिया नियमों के विरूद्ध संपूर्ण मशीनरी गति से संपादित कर मुस्लिम महिला के अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्मित प्रावधानों के विपरीत जाकर अनावेदकगण / अभियुक्तगण को प्रतिभूति पर रिहा किये जाने का आलोच्य आदेश दिनांक 4.4.2022 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर आवेदिका व्दारा धारा 439(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत करते हुए अनावेदकगण / अभियुक्तगण को प्रक्रिया नियमों के विरूद्ध सशर्त जमानत निरस्त किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका एम.जे.सी.क्रमांक 6 / 2022 है, जिसमें दिनांक 2.5.2022 को न्यायालय व्दारा आदेश पारित किया जाकर अनावेदकगण / अभियुक्तगण व्दारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित आलोच्य आदेश दिनांक 4.4.2022 निरस्त कर

दिया गया तथा विचारण न्यायालय को आदेशित किया गया था कि वे अभियुक्तगण की विचारण न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक विधिवत् कार्यवाही करें तथा विधि अनुसार उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् ही आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें।

4. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव व्दारा पारित आदेश दिनांक 2.5.2022 के विरूद्ध अनावेदकगण/अभियुक्तगण व्दारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में एक याचिका सी.आर.एम.पी.नंबर 830/2022 मोह0 सादिक अहमद वगैरह विरूद्ध छ0ग0शासन एवं हलीमा बेगम वगैरह प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार किया जाकर अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने एवं प्रार्थिया/आवेदिका को भी आहूत कर उसका पक्ष सुनने के पश्चात् यथोचित् आदेश पारित करने का आदेश दिया गया था, जिसके आधार पर दिनांक 1.8.2022 को अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश के परिपालन में आवेदिका/प्रार्थिया भी अपने अधिवक्ता के साथ विचारण न्यायालय में उपस्थित हुई थी, साथ ही थाना मानपुर व्दारा केसडायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत की गई थी, इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थिया को दिलायी गई थी तथा आवेदन एवं उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये जाने के पश्चात् विचारण न्यायालय व्दारा दिनांक 1.8.2022 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रत्येक अभियुक्तगण को 20-20 हजार रूपये की दो सक्षम जमानत व

इतनी ही राशि का मुचलका पेश किये जाने पर जमानत पर रिहा किये जाने का सशर्त आदेश पारित किया जाना था,किन्तु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत की गई है।

।। पुनरीक्षण के आधार ।।

5. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया की ओर से यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय व्दारा पारित आलोच्य आदेश प्रक्रिया, नियमों के विरूद्ध होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों को समझने में भूल की है। विचारण न्यायालय ने मुस्लिम महिला के संरक्षण हेतु बनाये गये अधिनियम के इस प्रावधान का पालन नहीं किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी विवाहिता मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है। वह अपने पति से स्वयं के लिए तथा आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी,जो मजिस्ट्रेट व्दारा निर्धारित किया जाए, परंतु विचारण न्यायालय ने आवेदिका/प्रार्थिया के पक्ष में निर्वाह भत्ता दिये जाने का कोई आदेश पारित न कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 4.4.2022 को अभियुक्तगण के प्रतिभूति आदेश पारित करते समय यह शर्त आरोपित किया था, किन्तु उसका पालन अनावेदक/पति व्दारा आज तक नहीं किया गया है, जिसे विचारण न्यायालय ने अनदेखा किया है।

विचारण न्यायालय ने दिनांक 1.8.2022 को जो आलोच्य आदेश पारित किया है, उसमें आवेदिका/प्रार्थिया के पक्ष में निर्वाह भत्ते का आदेश पारित न कर विचारण न्यायालय ने आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया है और प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। इस कारण आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी व्दारा थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 41/2022 छ0ग0शासन विरूद्ध मोहम्मद सादिक वगैरह में दिनांक 1.8.2022 को पारित आलोच्य आदेश अपास्त किया जाए तथा विकल्प में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) 2019 के प्रावधान के अनुसार अनावेदक पति को यह आदेशित किया जाए कि वह आवेदिका/प्रार्थिया को दिनांक 4.4.2022 से अन्वेषण अवधि एवं मामले के अंतिम निराकरण तक प्रत्येक माह नियमित रूप से आवेदिका/प्रार्थिया की आवश्यकता के अनुसार उसे निर्वाह भत्ता नियमित रूप से प्रदान करता रहे तथा इस संबंध में विवेचना के दौरान पुलिस के भारसाधक अधिकारी को इस बाबत जानकारी देता रहे तथा मामले के विचारण प्रारंभ होने पर निर्वाह भत्ता नियमित रूप से प्रत्येक माह आवेदिका/प्रार्थिया को प्रदान करता रहे और इसकी सूचना भी विचारण न्यायालय को प्रदान करता रहे । अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पेश पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 1.8.2022 तथा पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधार के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> क्या,विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 1.8.2022 में शुद्धता, वैद्यता या औचित्य के बारे में अनियमितता होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

<u>|| निष्कर्ष के आधार ||</u>

7. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी के रिमांड प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी द्वारा माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के नंबर सीआरएमपी नं 823/2022 मो0 सादिक आ0 नाजिर खान वगै0 विरूद्ध छ0ग0 शासन एवं हलीमा बेगम में पारित आदेश दिनांक 15.07.2022 के परिपालन में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 41/22 के अंतर्गत धारा 498ए/34 भा.द.स. एवं धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के संबंध में आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स पर सुनवाई करते हुए आवेदन स्वीकार कर 20,000 रूपये के दो सक्षम जमानत एवं मुचलके पर रिहाई किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है किन्तु मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 5 के आज्ञापक प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। यहां मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 5 का उल्लेख किया जाना उचित होगा।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्‌घोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए।

8. उक्त आदेश दिनांक 01.08.2022 के आदेश पत्रिका के अवलोकन

से यह दर्शित होता है कि धारा 5 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है जबकि उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि कोई विवाहित मुस्लिम महिला जिसके तलाक की उद्घ ाोषण की गई से अपने पति से स्वयं के लिए और अपने आश्रित संतान के लिए ऐसी निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाये।

9. उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है जिसका पालन किया जाना चाहिए था किन्तु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2022 में तत्संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण अंशतः स्वीकार की जाकर स्थानापन्न मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,स्थान मोहला, अंबागढ़ चौकी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 5 के आज्ञापक प्रावधान के संबंध में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित करें।

11. उभयपक्ष को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 10.4. 2023 को प्रातः 11.00 बजे स्थानापन्न मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,स्थान मोहला, अंबागढ़ चौकी के न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। यदि उक्त दिनांक को कोई अवकाश घोषित हो जाता है या न्यायालय का कामकाज किसी कारणवश् बंद रहता है, तो उभयपक्षकार उसके अगले कार्य दिवस पर दिन के ठीक 11.00 बजे उक्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

12. आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ स्थानापन्न मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट,स्थान मोहला, अंबागढ़ चौकी को उनके न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 723/2022 के साथ उनके न्यायालय में यथाशीघ्र भेजा जावे।

13. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो ।

तद्नुसार पुनरीक्षण याचिका निराकृत।

दिनांक 24.3.2023
राजनांदगांव (छ0ग0)

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित कर पारित किया गया।

सही/–
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ0ग0)

मेरे निर्देशानुसार टंकित हस्ताक्षरित किया गया।

सही/–
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ0ग0)

SATYABHAMA AJAY DUBEY
Digitally signed by SATYABHAMA AJAY DUBEY
Date: 2023.04.05 13:24:18 +0530